जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2( )जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2026/डी–   दिनांकः–

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 224वीं बैठक दिनांक 22.05.2026 को सायं 04:00 बजे श्री सिद्धार्थ महाजन, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में ''मंथन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार–विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं.	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	224:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 223वीं बैठक दिनांक 08.05.2026 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की पूर्व की बैठकों की लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा सभी जोनों को आगामी बैठक से पूर्व जारी गूगल स्प्रेडशीट पर अनुपालना कार्यवाही अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2.	08	224.2	जोन–8 द्वारा :– • जविप्रा की योजना शिव एन्क्लेव • सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखंड • क्षेत्रफल 1892.59 वर्गमीटर • आरआरवीपीएनएल द्वारा 132 केवी जीएसएस के निर्माण हेतु आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	उपायुक्त जोन द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की योजना शिव एनक्लेव के सुविधा क्षेत्र के क्षेत्रफल 1892.59 व.मी. तथा अनुमोदित निजी खातेदारी की योजना वर्धमान सरोवर–सी के सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूखण्ड क्षेत्रफल 543.77 व.मी., जो कि लैण्ड लॉक है एवं स्वतंत्र उपयोग सम्भव नही होने के कारण दोनों भूखण्डों को सम्मिलित करते हुए कुल क्षेत्रफल 2436.36 व.मी. में से नियमित आकार का भूखण्ड 18–18मीटर के जक्शन पर सृजित करते हुए आरआरवीपीएनएल को 1892.59 व.मी. भूमि जीएसएस निर्माण हेतु आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया किः– • प्रस्तावित भूखण्ड 1892.59 व.मी. जीएसएस निर्माण हेतु विकसित भूमि होने के कारण (एजेण्डा के बिन्दु सं. 22 के अनुसार) आरक्षित दर की 50 प्रतिशत + 15 प्रतिशत (भू–आवंटन नीति के बिन्दु सं. 4.9 के अनुसार स्थानीय निकाय को दी जाने वाली राशि) के आधार पर आवंटन की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
3.	09	224:3	जोन–9 द्वारा :– • व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी–10 • क्षेत्रफल 288.00 व.मी. • जविप्रा की योजना 160 फीट सैक्टर रोड जीरोता में सृजित व्यावसायिक भू–पट्टी के	जोन द्वारा जीरोता योजना में खसरा संख्या 124 व 125 का खातेदार से कब्जा नही लिये जाने के कारण भूखण्ड संख्या सी–10 क्षेत्रफल 288.00 व.मी. के बदले विनिमय में जविप्रा की योजना जीरोता में 160 फीट सैक्टर रोड पर सृजित

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.05.30 1?:00:39 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref No.: 22508844
M e-Sign

			बदले विनिमय में • भूखण्ड संख्या सी–18, सी–22 एवं सी–23 • प्रत्येक क्षेत्रफल 288.00 व.मी. में से एक भूखण्ड का जरिये लॉटरी भूखण्ड आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	व्यावसायिक भू–पट्टी में भूखण्ड संख्या सी–18, सी–22 एवं सी–23 प्रत्येक क्षेत्रफल 288.00 व.मी. में से लॉटरी के माध्यम से एक भूखण्ड दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:– जोन के प्रस्ताव को पूर्ण तथ्यों के साथ राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
4.	10	**224:4**	जोन–10 द्वारा :– • बजट घोषणा 2024–25 के क्रियान्विति के क्रम में • ग्राम कानडियावाला • ख.नं. 591/4, 592/2, 595/3, 1 • राजकीय कृषि महाविद्यालय जमवारामगढ़ जयपुर हेतु भूमि आवंटन बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	समिति के समक्ष जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम कानडियावाला के ख.नं. 590/4 किस्म चारागाह पर 14 हैक्टेयर भूमि पूर्व में राजकीय कृषि महाविद्यालय, ग्राम जमवारामगढ को जिला कलक्टर स्तर से आवंटित है तथा संस्था द्वारा उक्त आवंटित खसरे से लगती हुयी खसरा नं. 591/4 रकबा 5.22 हैक्टेयर., ख.नं. 592/2 रकबा 2.00 हैक्टेयर, ख.नं. 595/3 रकबा 2.46 हैक्टेयर, ख.नं. 1 रकबा 6.79 हैक्ट. कुल 16.47 हैक्टेयर में से 16 हैक्टेयर भूमि का आवंटन चाहा गया है। जोन उपायुक्त द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि आवेदित 16.00 हैक्टेयर भूमि पूर्व में ही कृषि महाविद्यालय को आंवटित की गई है। अतः आवेदित भूमि पूर्व में ही कृषि महाविद्यालय को आवंटित होने के कारण प्राप्त आवेदन का कोई औचित्य नही रहने के आधार पर समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया।
5.	10	**224:5**	जोन–10 द्वारा :– • सहकार से समृद्धि के अन्तर्गत सहकार वन विकसित करने हेतु ईकोलोजिकल जोन में सघन वृक्षारोपण के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।	जोन द्वारा राजस्व ग्राम सुमेल के ख.नं. 208/1 रकबा 38.5209 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से सहकार से समृद्धि के अन्तर्गत सहकार वन विकसित किये जाने तथा ईकोलोजिकल जोन में सघन वृक्षारोपण हेतु 62.53 एकड भूमि आरक्षित किये जाने प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:– • जोन द्वारा यथा प्रस्तावित राजस्व ग्राम सुमेल के ख.नं. 208/1 रकबा 38.5209 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से सहकार से समृद्धि के अन्तर्गत सहकार वन विकसित किये जाने तथा ईकोलोजिकल जोन में सघन वृक्षारोपण हेतु 62.53 एकड भूमि आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया। • भूमि पर स्वामित्व प्राधिकरण का ही रहेगा।

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरु मार्गए जयपुर.302004
दूरभाष.ϧ91.0141.2570122ϩ रु ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरु ϧ7019ϩरु फैक्स. 91.141.2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.05.30 1?:00:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22508844
M e-Sign

				• भारत सरकार के आदेशानुसार भूमि पर ''सहकार वन'' विकसित करने एवं संचालन हेतु सहकारिता विभाग के साथ जोन स्तर से एमओयू किया जावेगा। • उक्त भूमि सहकारिता विभाग को सघन वृक्षारोपण कर सहकार वन विकसित करने एवं संचालन हेतु 10 वर्षों के लिए दी जावेगी। • एमओयू में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर तथा आवश्यकता होने पर अवधि दोनों पक्षों की सहमति से 10 वर्षों से अधिक भी बढायी जा सकेगी।
6.	13	**224:6**	जोन–13 द्वारा :– • जविप्रा की व्यावसायिक योजना ट्रांसपोर्ट नगर के द्वितीय फेज में आवंटित भूखण्ड संख्या ए–2/385 क्षेत्रफल 480.00 व.मी. के दोहरे आंवटन से प्रभावित होने के कारण तथा योजना में रिकॉर्ड अनुसार क्षेत्रफल 480.00 व.मी. के भूखण्ड रिक्त नहीं होने के कारण क्रमशः 240–240 व. मी. एकजाई दो भूखण्ड समान सड़क पर विनिमय में भूखण्ड आवंटित करने बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	उपायुक्त जोन द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि जविप्रा की व्यावसायिक योजना ट्रांसपोर्ट नगर के द्वितीय फेज में आवंटित भूखण्ड संख्या ए–2/385 क्षेत्रफल 480.00 व.मी. के दोहरे आवंटन से प्रभावित होने तथा योजना में 480.00 व.मी. का भूखण्ड रिक्त नहीं होने के कारण मैसर्स श्रीराम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी जरिये प्रोपराईटर श्रीराम अग्रवाल पुत्र श्री चम्पालाल को 240–240 व.मी. के दो भूखण्ड एकजाई रूप से आंवटित किया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया किः– • जविप्रा की व्यावसायिक योजना ट्रांसपोर्ट नगर के द्वितीय फेज में भूखण्ड संख्या ए–2/385 क्षेत्रफल 480.00 व.मी. के बदले जोन द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड संख्या ए–3/35, ए–3/36 तथा ए–3/107, ए–3/108 प्रत्येक क्षेत्रफल 240 व.मी. में से दो भूखण्ड एकजाई रूप से समान चौडाई वाली सडक पर लॉटरी के माध्यम से आंवटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
अन्य प्रकरण आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार				
7.	11	**224.7**	जोन–11 द्वारा :– • जोन–11 क्षेत्र के अन्तर्गत सेज योजना के निम्न राजस्व ग्रामों के भूखण्डों के साथ लगती हुई स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के प्रकरणों का निस्तारण बाबत्। क.सं. | आंवटित भूखण्ड का विवरण | बढा हुआ क्षेत्रफल (व.मी.) 1. | ग्राम टीलावास के | 5.59	जोन उपायुक्त द्वारा समिति के समक्ष बढे हुए क्षेत्रफल/स्ट्रिप ऑफ लैण्ड के कुल 21 प्रकरण प्रस्तुत किये गये। कम संख्या 1 से 4, 6, 8, 9, 11 से 14 तथा 16 से 21 के प्रकरण में स्ट्रिप ऑफ लैण्ड के एक से अधिक दावेदार होने के आधार पर लिमिटेड ऑक्शन से निस्तारण प्रस्तावित किया गया। कम संख्या 5 एवं 10 में भूखण्ड के पीछे की ओर भूमि बढती हुयी बतायी गई है।

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.05.30 1?:00:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22508844
M e-Sign

				व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–670–सी क्षेत्रफल 13.50 वर्गमीटर		क्रम संख्या 7 व 15 के प्रकरण में साथ लगता हुआ भूखण्ड किसी अन्य को आवंटित ना होकर प्राधिकरण के नाम ही होना बताया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया किः– • जोन द्वारा प्रस्तुत कुल 21 प्रकरणों में से क्रम संख्या 05, 07, 10 तथा 15 (4 भूखण्डों) के अतिरिक्त शेष सभी प्रकरणों में एक से अधिक दावेदार की सम्भावना के आधार पर स्ट्रिप ऑफ लैण्ड के नियम अन्तर्गत लिमिटेड ऑक्शन द्वारा निस्तारण का निर्णय लिया गया। • क्रम संख्या 05 पर उल्लेखित ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या ए–542 क्षेत्रफल 50 व.मी. के पीछे की ओर 15.75 व.मी. भूमि बढी हुई होने के कारण कुल 65.75 व.मी. भूमि मूल आंवटी श्री यशोवर्धन सिंह गौर पुत्र श्री रविन्द्र पाल सिंह के नाम आरक्षित दर से दूगूनी दर के आधार पर आवंटन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। • क्रम. संख्या 07 पर उल्लेखित ग्राम भम्भोरिया/ बगरूखुर्द के व्यवसायिक भूखण्ड संख्या एस–1003–सी क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर के साथ लगते हुए 25.50 व.मी. की आवेदित स्ट्रिप ऑफ लैण्ड भूखण्ड संख्या एस–1004 किसी को आवंटित नही होने के कारण उक्त बढा हुआ क्षेत्रफल 25.50 व.मी. भूखण्ड संख्या एस–1004 में सम्मिलित किया जाकर नीलामी/आवंटन के आधार पर निस्तारण किया जा सके। • क्रम. संख्या 10 पर उल्लेखित ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या ए–547 क्षेत्रफल 50 व.मी. के पीछे की ओर 29 व.मी. भूमि बढी हुई होने के कारण कुल 79.00 व.मी. भूमि मूल आंवटी श्रीमती अनिता अग्रवाल पत्नी श्री मनीष सहगल के नाम आरक्षित दर से दूगूनी दर के आधार पर आवंटन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। • क्रम. संख्या 15 पर उल्लेखित ग्राम पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 862–सी क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर के साथ लगते हुए 55. 50 व.मी. की आवेदित स्ट्रिप ऑफ लैण्ड भूखण्ड संख्या 861 किसी को आवंटित नही
			2.	ग्राम टीलावास के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस 579–सी क्षेत्रफल 18 वर्गमीटर	8.06	
			3.	ग्राम भम्भोरिया/ बगरू खुर्द (राजदरबार) के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस– 540–सी क्षेत्रफल 18 वर्गमीटर	8.88	
			4.	ग्राम नृसिंहपुरा दादिया के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 151–सी क्षेत्रफल 54 वर्गमीटर	12.40	
			5.	ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या ए–542 क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर	15.75	
			6.	ग्राम टीलावास के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 1024–सी क्षेत्रफल 54 वर्गमीटर	20.25	
			7.	ग्राम भम्भोरिया/ बगरू खुर्द के व्यवसायिक भूखण्ड एस–1003–सी क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर	25.50	
			8.	ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 125–सी क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर	25.50	
			9.	ग्राम खटवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 253–सी क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर	25.50	
			10.	ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या ए–547 क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर	29.00	
			11.	ग्राम भम्भोरिया/ बगरू खुर्द के आवासीय भूखण्ड संख्या 241 क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर	35.50	

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.05.30 1[illegible]:00:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22508844

M e-Sign

			12.	ग्राम कलवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 379–सी क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर	40.50	होने के कारण उक्त बढा हुआ क्षेत्रफल 55.50 व.मी. भूखण्ड संख्या 861 में सम्मिलित किया जाकर नीलामी/आवंटन के आधार पर निस्तारण किया जा सके।
			13.	ग्राम टीलावास के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस 271–सी क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर	54.00	
			14.	ग्राम बगरूखुर्द के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–1246–सी क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर	55.50	
			15.	ग्राम पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 862–सी क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर	55.50	
			16.	ग्राम पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 1071–सी क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर	55.50	
			17.	ग्राम भम्भोरिया के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–395–सी क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर	69.00	
			18.	ग्राम कलवाडा के आवासीय भूखण्ड संख्या 587–सी क्षेत्रफल 375 वर्गमीटर	70.50	
			19.	ग्राम खटवाडा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–30सी क्षेत्रफल 550 वर्गमीटर	93.00	
			20.	ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–221–सी क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर	126.00	
			21.	ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 262सी क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर	169.00	
8.	19	**224.8**	जोन–19 द्वारा :– • ग्राम बिचून तहसील मौजमाबाद			जोन उपायुक्त द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि आवंटन हेतु चाही गई भूमि प्राधिकरण

RajKaj Ref No.:
22508844

M e-Sign

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.05.30 1?:00:39 IST
Reason: Approved

			• खसरा नं. (1992/110 (28 है.), खसरा संख्या 1993/110 (9.20 है.), खसरा संख्या 1989/73 (6.26 है.), खसरा संख्या 1988/73 (1है.) कुल 44.46 है. में से 4.17 है.), खसरा संख्या 33 (44.06 है.), खसरा संख्या 1990/73 (16.36 है.) कुल 60.42 में से 15. 75 है.), (खसरा संख्या 1994/111 (25.00 है.), खसरा संख्या 1996/1413 (31.00 है.) कुल 56 में से 7.00 है.) कुल रकबा 160.88 है. में से 26.92 है., खसरा संख्या 2 (31.62 है.), खसरा संख्या 579 (49.96 है.), खसरा संख्या 576 (1.06 है.), खसरा संख्या 638 (8.49 है.), खसरा संख्या 639 (1.05 है.), खसरा संख्या 648 (4.37 है.), खसरा संख्या 776 (54.52. है.), खसरा संख्या 1761/638 (2.2 है.), खसरा संख्या 18890/584 (32.67 है.), खसरा संख्या 1619/111 (2 है.), खसरा संख्या 1617/111 (1.53है.), खसरा संख्या 1963/569 (15.7617 है.) • कुल क्षेत्रफल 206.98 हैक्टेयर भूमि राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेन्ट एण्ड डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (रीको), जयपुर को औद्योगिक क्षेत्र आंवटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।	के नवीन क्षेत्र विस्तार में शामिल है जिसके कुछ खसरों पर गहरी खान व पहाड़ है तथा स्थानीय निवासियों की लोक आस्था का धार्मिक स्थान (दादू पालकी) बना हुआ है। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि:— हरित भू—पटट्री क्षेत्र होने तथा स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण जोन द्वारा औद्योगिक उपयोग हेतु आंवटित नहीं किया जाना प्रस्तावित किया गया है। जिसके अनुसार समिति द्वारा आवेदक को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी—I, II, III, IV/नगर—आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन—ए, बी, सी, 7 से 25, पीआरएन, जविप्रा, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

RajKaj Ref No.: 22508844

M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.05.30 1?:00:39 IST
Reason: Approved

13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरु मार्गए जयपुर.302004
दूरभाष.़91.0141.2570122द्व रू ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरू ़7019द्वरू फैक्स. 91.141.2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

Signature valid
Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.05.30 1?:00:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22508844
M e-Sign